हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

राधेश्याम शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023 / 121

25.07.23

पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी क्रमांक एफ.19(11)(2)आरटीआई / 2023 / 175 दिनांक 10.04.2023 प्राप्त। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय की पत्रावली से सम्बन्धित होने के कारण देय नही है एवं पत्रांक 136 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना हेतु इन्कार नही किया गया है बल्कि पत्रांक 136 दिनांक 03.03.2023 द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है कि अपीलार्थी यदि प्रकरण में प्रभावी पक्षकार है तो नियमानुसार रेवन्यू कोर्ट मैन्यूवल के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन कर प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी नये सीरे से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 25.7.23

(अन्तरसिंह नेहरा)

राजस्व अपील प्राधिकारी / आयुक्त,

जयपुर।